# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ..2262/2016.....जिला.....जयपुर.....

उनवान – मैसर्स डेनोवो एंटरप्राईजेज प्रा.लि., जयपुर बनाम 1. अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, जयपुर
2. सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–एन, जयपुर।

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 10.11.2016 | **खण्डपीठ**<br>**श्री मदन लाल, सदस्य**<br>**श्री राजीव चौधरी, सदस्य**<br>अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री जे.एन.शर्मा एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री आर.के.अजमेरा उपस्थित।<br>यह अपील अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2016 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 25, 25 एवं 61 के तहत् कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित मांग राशि रू0 1,45,03,453/– की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेश में अंकित नहीं किया है। जिसके विरूद्ध यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 38(4)/83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।<br>उभयपक्षीय बहस सुनी गई।<br>विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेश में अंकितं नहीं किया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांग राशि के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशि रूपये 1,45,03,453/– की वसूली अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निस्तारण तक रोक लगाने की प्रार्थना की गयी।<br>उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 16.08.2016 का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली की रोक पर प्रस्तुत अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया।<br>उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी का सर्वेक्षण दिनांक 16.03.2015 को किया गया। सर्वेक्षण पर पाया कि अपीलार्थी द्वारा मैसर्स कनेक्ट रेजीडेन्सी प्रा.लि. को<br>10/11/16<br>लगातार.....2 | |

# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2262/2016.....जिला.....जयपुर.....

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज<br>—: 2 :— | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 10/11/2016 | इनवॉइस दिनांक 22.11.2013 से रूपये 4,81,20,319/— के जिम इक्यूपमेंटस की बिक्री करके इस विक्रय पर 14 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया गया है। अपीलार्थी द्वारा इस विक्रय का इंद्राज लेखा पुस्तकों में नहीं किया गया है तथा न ही बिक्री विवरण प्रपत्रों में घोषित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा उक्त विक्रय पर वसूल किये गये कर को राजकोष में जमा नहीं करवाया गया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश में कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया। जिसके विरूद्ध यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई है। दोनों अवर अधिकारियों के आदेशों का अवलोकन करने से प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है, अतः अपीलार्थी के विरूद्ध कायम विवादित मांग राशि को स्थगित किया जाना न्यायहित में प्रतीत नहीं होता है।<br><br>परिणामस्वरूप प्रस्तुत अपील को मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज किया जाता है।<br><br>अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।<br><br>10.11.2016<br>(राजीव चौधरी)<br>सदस्य<br><br>10.11.2016<br>(मदन लाल)<br>सदस्य | |